कंदपझा नादर व अन्य

बनाम

चित्रगनीमल व अन्य

16 अप्रैल, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाडिया, न्यायाधिपति]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 02 नियम 02, आदेश 09 नियम 09 आदेश 22 नियम 10 और आदेश 23 नियम 1 (4) -वाद का प्रत्याहरण-नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के बिना, पश्चातवर्ती वाद में प्रत्याहरण करने वाले पक्षकार की प्रतिरक्षा पर प्रभाव-अभिनिर्धारित- इस प्रकार प्रत्याहरण बिना किसी न्याय निर्णयन के होने से डिक्री का प्रभाव नही रखता, इसलिए पश्चातवर्ती वाद में ऐसी प्रतिरक्षा का निषेध नही करता है।

वादी-प्रत्यर्थी के हक पूर्वाधिकारी द्वारा प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरूद्व प्रश्नगत सम्पति, जो उसके द्वारा सी से क्रय की गई थी, का स्वामी अभिकथित करते हुये वाद प्रस्तुत किया गया, वादी के अनुसार प्रतिवादी उक्त सम्पति में कूट रचित हस्तानान्तरण विलेख से काबिज हुआ, प्रश्नगत सम्पति के संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत पूर्व वाद द्वितीय अपील के स्तर पर नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के बिना प्रत्याहरण किया गया।

विचारण न्यायालय ने वादी को वादग्रस्त सम्पति का हकदार न्याय निर्णित किया, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि प्रतिवादियों द्वारा पूर्व वाद को वापस लिया जाना वादी को पश्चातवर्ती वाद के संस्थित करने से अपवर्जित करता हैं, परन्तु यह प्रतिवादीगण की प्रतिरक्षा का प्रभावित नही

करता हैं, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राग्ड़ न्याय के सामान्य सिंद्वात के अनुसार पूर्ववर्ती वाद के प्रत्याहरण के कारण प्रतिवादीगण की प्रतिरक्षा अपवर्जित है।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि नया वाद वर्जित नही हैं और आदेश 23 नियम 1 (4) प्रकरण के तथ्यों के संबंध में लागू नही है।

अपील को स्वीकार करते हुये, इस न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित कियाः जब न्यायालय बिना किसी न्यायनिर्णयन के नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के बिना वाद का प्रत्याहरण अनुमत करता हैं तो वाद के प्रत्याहरण का ऐसा आदेश डिक्री का गठन नही करता हैं तथा याची को द्वितीय चरण की मुकदमेबाजी में ऐसी प्रतिरक्षा उठाने से अपवर्जित नही करता है। यदि वादी वाद का प्रत्याहरण करता हैं, न्यायालय के ऐसा प्रत्याहरण अनुमत करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 02 नियम (2) के तहत डिक्री का गठन नही करता हैं तथा किसी भी परिस्थिति में याची (द्वितीय चरण की मुकदमेबाजी में प्रतिवादी) को यह तर्क उठाने से अपवर्जित नही करता हैं, कि वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र सही व वैध नही था। [पैरा 19] [181-सी-ई]

(रानी) कुलंदई पांडिची व अन्य बनाम इंद्रन रामास्वामी पांडिया थेवन एयर [1928] मद्रास 416; सरस्वती बाला सामंत व अन्य बनाम सुरबाला डस्सी व अन्य, ए.आई.आर. [1957] कलकत्ता 57; देवस्सी बनाम एन्थोनी, आकाशवाणी [1969] केरल 78 और नाथजी व अन्य बनाम लंगुरिया व अन्य, ए.आई.आर. (1925) इलाहाबाद 272, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 5107/2000

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 230/1987 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 30.04.1999 के विरूद्व।

वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद, वी. सुब्रमण्यम और रेवती राघवन अपीलार्थी की ओर से,

न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा

डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश

1. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार करने के आदेश को चुनौती दी गई हैं, प्रत्यर्थी मूल वादी के विधिक प्रतिनिधि हैं।

2. वादी के अनुसार, वादग्रस्त संपत्तियां मूल रूप से एक चेलिया नादर की थीं, उसने बिक्री विलेख उदाहरण ए-1, दिनांक 26.2.1973 के तहत वादग्रस्त संपत्तियों को खरीदा था, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने धोखाधड़ी से एक हस्तांतरण विलेख अपने पक्ष में बनाकर पहले जिला मुन्सिफ अदालत, श्री वैकुन्टम के यहां सिविल मूल वाद संख्या 298/1973 प्रस्तुत किया तथा निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त संपत्तियों में प्रवेश करने में कामयाब रहे; जबकि प्रतिवादियों को कोई भी अधिकार नहीं था, सिविल मूल वाद संख्या 298/1973 प्रतिवाद के बाद खारिज कर दिया गया था, अपील में, पहली अपीलीय अदालत ने उक्त मुकदमे में वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया, वर्तमान वादी ने द्वितीय अपील संख्या 08/1977 प्रस्तुत की, उक्त दूसरी अपील लंबित रहते उसे वाद को उसी वाद हेतूक पर नया वाद संस्थित करने की अनुमति के बिना वाद के प्रत्याहरण की इजाजत प्रदान की गई। प्रतिवादियों को वादग्रस्त सम्पति में कोई अधिकार नहीं होते हुये भी प्रतिवादीगण 176 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] एस. एस.सी.आर. उक्त सम्पति का दिनांक 11.06.1973 से उपभोग कर रहे है।

3. वादी का आगे यह मामला रहा हैं कि प्रतिवादीगण ओडाई पेड़ों को, जिनकी कीमत 1500/- रूपये थी, काट कर ले गये तथा वर्ष 1973 से वादग्रस्त सम्पति पर खड़े 42 पामिरा पेड़ों से ताड़ी निकाली, प्रतिवादीगण दो पामिरा पेड़ों, कीमत 200/- रूपये को भी काट कर ले गये, प्रतिवादीगण मूंगफली की खेती कर 1000/- रूपये की आय अर्जित कर रहे हैं, पामिरा के पेड़ों से 400/- रूपये प्रति वर्ष आय होगी; इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 भूतकालिन अन्तःकालिन लाभ के रूप में रकम 5100/- भुगतान करने के लिये दायी हैं ओर वादी भूतकालिन व भविष्यवर्ती अन्तःकालिन लाभों के साथ सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं।

4. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अन्य बातों के साथ यह अभिवचन करते हुये लिखित कथन प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त सम्पति मूल रूप से चेलिया नादर और उसके भाई की थी, प्रतिवादीगण ने उक्त सम्पति चेलिया नादर से दिनांक 08.10.1971 को क्रय की, वादी ने प्रतिवादीगण के कब्जे में व्यवधान कारित करने का प्रयास किया, वादी ने उक्त सम्पति चेलिया नादर से क्रय नही की हैं, उक्त वाद के खारिज हो जाने पर प्रतिवादीगण ने ए.एस. संख्या 51/1975 प्रस्तुत की, जो स्वीकार की जाकर डिक्री की गई, वादी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील के लंबित रहते हुये, प्रतिवादीगण ने वाद का प्रत्याहरण कर लिया क्योंकि उन्होने चेलिया नादर के द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन साबित नही किया, वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है, वादी वादग्रस्त सम्पति का हकदार नही हैं, वादी पेड़ो की किसी भी आय या मूल्य का, पामिरा पेड़ों की आय का हकदार नही हैं तथा वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. प्रतिवाद के पश्चात, विचारण न्यायालय ने यह निर्णित किया की वर्तमान वाद में वादी वादग्रस्त सम्पति का हकदार हैं तथा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार हैं, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 भूतकालिन अन्तःकालिन लाभों के रूप में 2760/- रूपये

के लिये दायी हैं तथा वादी भविष्यवर्ती ऐसे अन्तःकालिन लाभों का हकदार हैं जो संहिता के आदेश 20 नियत 12 के तहत निर्धारित किये जावे।

6. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णित किया कि प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को प्रथम अपील में पक्षकार संयोजित नही किया गया हैं, वादी के अनुसार उसके द्वारा वादग्रस्त सम्पति चेलिया नादर से दिखाना ए-1 दिनांक 26.2.1973 से क्रय की गई हैं, प्रतिवाद कर रहे प्रतिवादीगण ने भी वादग्रस्त सम्पति चेलिया नादर के भाईयों से दिखाना बी-7 दिनांक 08.10.1971 से क्रय कर स्वयं को कब्जे में होने का दावा किया हैं, पूर्ववर्ती मूल वाद संख्या 298/1973 में पारित आदेश इस संबंध में महत्तवपूर्ण रूप से सुंसगत हैं जो इस प्रकार से हैं कि

> "कुछ लंबे तर्को के पश्चात प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के. सर्वभुमन ने वाद के प्रत्याहरण की प्रार्थना की हैं, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गणपति सुब्रमण्यम का तर्क रहा है कि ऐसी अनुमति नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ प्रदान की जा सकती हैं, उक्त कथनों को अभिलेख पर लेते हुये वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जाती हैं तथा यह स्पष्ट किया जाता हैं कि वादी/प्रत्यर्थी को नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता नही रहेगा, इसके अनुसार वाद खारिज किया गया, खर्च के बाबत कोई आदेश पारित नही किया जाता है"

7. उच्च न्यायालय ने कहा की आदेश 23 नियम 1 (4) (बी) के प्रावधानों के अनुसार जब एक पक्षकार नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के बिना वाद का प्रत्याहरण कर लेता हैं तो वह पक्षकार उस सम्पति या दावे के भाग के बाबत नया वाद संस्थित करने से अपवर्जित रहता हैं, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को माना की द्वितीय अपील के स्तर पर बिना विधिवत अनुमति के पूर्व वाद प्रतिवादी द्वारा प्रत्याहरण के

आधार पर खारिज किया गया था, इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस संबंध में प्राग्ड़ न्याय के सामान्य सिद्वांत लागू होते हैं तथा प्रतिवादीगण का दावा समान पक्षकारों में पूर्व वाद में पारित आदेश के कारण अपवर्जित है, यह ध्यान दिये जाने योग्य हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण कर लेने से नया वाद संस्थित करने से अपर्वजित माना किन्तु यह प्रतिवादी की प्रतिरक्षा का प्रभावित नही करता है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अनके न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये यह तर्क दिया हैं कि नया वाद अपवर्जित नही हैं तथा आदेश आदेश 23 नियम 1 (4) के प्रावधान प्रकरण के तथ्यों के संबंध में लागू नही होते है, प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील होने पर भी उनकी ओर से किसी ने उपस्थिति नही दी है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को के विवेचन के प्रयोजन से आदेश 23 नियम 1 (4) के उपबंधों का उल्लेख करना समिचिन हैं, जो इस प्रकार से है।

" 1 (4) जहाँ वादी -

(क) उप-नियम (1) के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता हैं, अथवा

(ख) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहत कर लेता हैं,

वहां वह ऐसे खर्चे के लिये दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णित करे और वह ऐसी विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवरित होगा।"

10. यहां आदेश आदेश 9 नियम 09 व आदेश 22 नियम 10 को ध्यान में लेना भी सुसंगत होगा जो इस प्रकार से हैं :

"आदेश 9 नियम 09 व्यतिक्रम के कारण वादी के विरूद्व पारित डिक्री नये वाद का वर्जन करती है (1) जहां वाद नियम 08 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता हैं वहां वादी उसी वाद हेतूक के लिये नया वाद लाने से प्रवरित हो जाएगा किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिये आदवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता हैं कि जब वाद की सुनवाई के लिये पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतूक था तो न्यायालय खर्चो या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने केा आदेश कर सकेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा।

आदेश 22 नियम 10 वाद में अन्तिम आदेश होने से पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया (1) वाद के लम्बित रहने के द्वौरान किसी हित के समनुदेशन, सूजन या न्यागमन की अन्य दशाओं में, वाद न्यायालय की इजाजत से उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरूद्व चालू रखा जा सकेगा जिसको ऐसा हित प्राप्त या न्यायगत हुआ हैं।

(2) किसी डिक्री की अपील के लम्बित रहने के द्वौरान उस डिक्री की कुर्की के बारे में यह समझा जावेगा कि वह ऐसा हित हैं जिससे वह व्यक्ति जिसने ऐसी कुर्की कराई थी, उपनियम (1) का फायदा उठाने का हकदार हो गया है।"

11. मूल वाद स्वामित्व की घोषणा व निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया गया था, अविवादित रूप से वाद का प्रत्याहरण अनुमत किया गया था किन्तु नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता प्रदान नही की गई थी, XXIII नियम 1 को शामिल करने का उद्देश्य वाद बाहुल्यता से बचना हैं, पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने स्वामी होना अभिकथित किया हैं, आदेश XI नियम 09 व आदेश XXII नियम 10 में निहित प्रावधान विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित हैं, वाद की विषय वस्तु ही इस संबंध में प्रासंगिक पहलू है, वादी द्वारा अपना वाद साबित किया जाना हैं, इस संबंध में आदेश II नियम 2 भी सुसंगत हैं, जो इस प्रकार से हैं,

> "आदेश II नियम 2 वाद के अन्तर्गत सम्पर्ण दावा होगा (1) हर वाद के अन्तर्गत वह पूरा दावा होगा जिसमें उन वाद हेतूक के संबंध में करने का वादी हकदार हैं, किन्तु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा।
>
> (2) दावे के भाग का त्याग-जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता हैं या उसे साश्य त्याग देता हैं, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नही लायेगा।
>
> (3) कई अनुतोषों में से किसी एक के लिये वाद लाने का लोप-एक ही वाद हेतूक के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उसने में से किसी के लिये वाद ला सकेगा। किन्तु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिये वाद लाने का लोप न्यायालय की

इजाजत के बिना करता हैं तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गये किसी भी अनुतोष के लिये वाद नही लायेगा।"

12. आदेश II नियम 2 "राहत जो दी जा सकती है" से संबंधित है जबकि आदेश XXIII नियम 1 "विषय वस्तु" को संदर्भित करता है, अनुमति प्रदान करना अधिकार के रूप में नही हो सकता है। आदेश XXIII नियम 1 में विभिन्न विषयगत मामले निहित प्रावधानों से संबंधित हैं। हस्तगत व पूर्ववर्ती वाद में मूलतः एक ही है।

13. विवादित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चुंकि याची द्वारा वाद संख्या 298/1973 प्रत्याहत किया जा चुका हैं और जबकि याची को नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता प्रदान नही की गई हैं, याची प्रतिरक्षा में यह तर्क लेने से अपवर्जित थे कि चेलिया नादर द्वारा थंगाराज नादर के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 26.2.1973 सही और वैध नहीं था, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश XXIII नियम 1 (4) का अवलंब लिया गया है।

14. हमारे समक्ष प्रश्न यह हैं कि प्रथम बार की मुकदमेबाजी में थंगाराज नादर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 08/1977 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्या प्रभाव हैं, आदेश दिनांक 27.07.78 का हैं, जिसके द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्तमान याची को वाद संख्या 298/1973 के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की गई हैं तथा यह स्पष्ट किया गया हैं कि याची (पूर्ववर्ती वाद में वादी) को नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता प्रदान नही की गई हैं, क्या इसका अर्थ यह हैं कि याचीगण/प्रतिवादीगण उनके पक्ष में चेलिया नादर द्वारा निष्पादित हस्तानान्तरण पत्र दिनांकित 08.10.71 की वैधता के संबंध में प्रतिरक्षा उठाने से विबंधित हैं।

15. (रानी) कुलंदई पांडिची व अन्य बनाम इंद्रन रामास्वामी पांडिया थेवन, ए.आई.आर. (1928) मद्रास 416, में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं किः

"एक वाद को प्रत्याहरण करने की अनुमति वादग्रस्त विषय को निर्णित नही करती हैं व किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्रदान नही करती हैं और इसका यह प्रभाव नही हैं कि वाद को प्रत्याहत करने वाला पक्षकार उसी वाद हेतूक के संबंध में नया वाद लाने से अपवर्जित हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि वाद या अपील के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक डिक्री की परिभाषा में नही आता है, इस संबंध में हम पटलोगी बनाम गाम, (1891) 15 बाम्बे 370, जोगिंद्र नाथ बनाम शरत सुंदरी देवी,- (1891) 18 कलकत्ता 322 व अब्दुल हुसैन बनाम कासी साबू-(1900) 27 कलकत्ता 362 का उद्वत करते है।"

16. सरस्वती बाला सामंत व अन्य बनाम सुरबाला डस्सी व अन्य, ए.आई.आर. (1957) कलकत्ता 57 पैरा 3 के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"(3) वाद के प्रत्याहरण की अनुमति का आदेश डिक्री नही हैं, ऐसे में वाद को डिक्री के रूप में तैयार किये जाने का कोई प्रश्न नही हैं, वाद के प्रत्याहरण का आदेश सिविल नियमों और आदेशों के वॉल्यूम-1, भाग I, अध्याय 1 के नियम 187 के अनुसार औपचारिक रूप से तैयार किया जा सकता हैं, चुंकि वादी को प्रतिवादी को हर्जो अदा करने के लिये आदेशित किया गया हैं अतः हम उस कथित डिक्री को एक आदेश के रूप में मानते हैं।"

(जोर दिया गया)

17. देवासी बनाम एंथनी, ए.आई.आर. (1969) केरल 78 के पैरा संख्या 01 में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं किः

"(1) धारा 100 की उपधारा (1) की कोई भी शर्त यहां पूरी नही हुई हैं, वास्तव में अपीलार्थी/प्रतिवादी की नीचले न्यायालय को अपील खारिज करने का समर्थन इस छोटे से आधार पर किया जा सकता हैं कि अपील पोषणीय नही थी, यह एक मामला हैं जिसमें वादी ने अपना वाद आदेश XXIII नियम 1 उपनियम (1) के तहत प्रत्याहत कर लिया हैं,वह इस कार्य के लिये सक्षम था और एक मात्र वादी होने से उसे किसी की अनुमति की आवश्यक्ता नही थी, प्रतिवादी जैसा की हम देख पा रहे हैं, किसी भी रूप में वादी नही थे, और विचारण न्यायलय द्वारा वाद का प्रत्याहरण के आधार पर खारिज किया जाना वास्तव में खारिजी नही होकर प्रत्याहरण के तथ्य को अभिलिखित किया जाना मात्र हैं, यह वाद में विवाधक विषय के संबंध में कुछ भी निर्णित नही करता हैं, प्रतिवादी द्वारा अभिनिर्णित किये जाने का कोई दावा नही हैं व संहिता के आदेश 2 नियम (2) के तहत परिभाषित डिक्री नही हैं, यह उसी प्रकार हैं जैसे संहिता के आदेश IX नियम 8 के तहत नियम द्वारा प्रयुक्त शब्द खारिजी के कारण गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन प्रतित होता हैं तथा आदेश 2 नियम (2) क्लॉज (बी) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया हैं, यह आदेश XXIII नियम 1 उपनियम (3) (जैसे आदेश IX नियम 9) के रूप में हैं तथा प्राग्ड़ न्याय का कोई सिंद्वात नही हैं जो वादी को वादी को उसी वाद विषय के संबंध में नया वाद लाने से अपवर्जित करता हो, जिससे यह भी प्रकट होता हैं कि डिक्री नही होने से संहिता की धारा 96 के तहत कोई अपील भी नही हो सकती हैं, इस संबंध में कुलंदई बनाम रामास्वामी, ए.आई.आर. (1928) 416 के पैज संख्या 418, सरस्वती बाला बनाम सुरबाला डस्सी, एआईआर (1957) कलकत्ता 57 और 181,

रायसा सुल्ताना बेगम बनाम अब्दुल कादिर, एआईआर (1966) इलाहाबाद 318 पेज 320 का संदर्भ दिया जा सकता है"

18. नाथजी व अन्य बनाम लंगुरिया व अन्य, एआईआर (1925) इलाहाबाद 272 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 23 नियम 1(2) के प्रावधानों के अनुसार वाद के प्रत्याहरण के प्रार्थना पत्र के मामलों में जहां न्यायालय वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करता हैं किन्तु नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान नही करता, वहां ऐसा आदेश गलत हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि विचारण न्यायलाय आदेश 23 नियम 1 (2) के प्रावधानों के अनुसार वाद के प्रत्याहरण का कारण नही पता हैं तो विचारण न्यायालय को नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर वाद में गुणावगुण पर आगे कार्यवाही करनी चाहिये।

19. उक्त निर्णयों की रोशनी में विधि की स्थिति स्पष्ट हैं कि जब न्यायालय गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन नही कर नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के बिना वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करता हैं, ऐसी अनुमति प्रदान करने का आदेश डिक्री का गठन नही करता तथा यह वर्तमान याची को द्वितीय चरण की मुकदमेबाजी में प्रतिरक्षा उठाने से अपवर्जित नही करता हैं जैसा की प्रश्नगत निर्णय में अवधारित किया गया हैं, उल्लेखित निर्णयों से यह प्रकट हैं कि जब न्यायालय वादी को वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करता हैं तो ऐसा प्रत्याहरण संहिता की धारा 2 (2) के तहत डिक्री का गठन नही करता हैं, ऐसे में किसी भी परिस्थिति में वर्तमान याची (द्वितीय चरण की मुकदमेबाजी में प्रतिवादी) को यह तर्क उठाने से अपवर्जित नही करता हैं कि चेलिया नादर द्वारा दिनांक 26.2.73 को थांगराज के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वैध व सही नही था, अतः सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

के.के.टी अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।